पूर्वोत्तर प्रभाग, गृह मंत्रालय की प्रमुख पहलें/उपलब्धियां

1. पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति : पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा स्थिति वर्ष 2013 से काफी सुधरी है। वर्ष 2018 में वर्ष 1997 के बाद से सबसे कम संख्या में विद्रोही घटनाएं और सिविलियन मौतें हुई हैं। वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2018 में विद्रोही घटनाओं में 18 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है (2017-308, 2018-252)। इसी प्रकार, वर्ष 2018 में सिविलियनों और सुरक्षा बल कार्मिकों की मौतों की संख्या में 25 प्रतिशत की कमी आयी है (2017-49, 2018-37)। वर्ष 2013 की तुलना में, वर्ष 2018 में इस क्षेत्र में विद्रोही घटनाओं में 66 प्रतिशत, सिविलियन हताहतों में 79 प्रतिशत, सुरक्षा बलों की हताहतों में 23 प्रतिशत और व्यपहरण/अपहरण के मामलों में 62 प्रतिशत की कमी आयी है। जहां त्रिपुरा और मिजोरम में कोई विद्रोही घटना नहीं हुई है वहीं वर्ष 2017 की तुलना में 2018 में मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर में विद्रोह संबंधी हिंसा में क्रमश: 48 प्रतिशत, 40 प्रतिशत, 16 प्रतिशत और 24 प्रतिशत की कमी आई है।

वर्ष	घटनाएं	मारे गए उग्रवादी	गिरफ्तार उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल	मारे गए सिविलियन	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	समर्पण किए गए हथियार	बरामद किए गए हथियार	अपहरण किए गए व्यक्ति
2009	1297	571	2162	42	264	1109	420	1357	230
2010	773	247	2213	20	94	846	351	1057	214
2011	627	114	2141	32	70	491	381	973	250
2012	1025	222	2145	14	97	1195	612	1244	329
2013	732	138	1712	18	107	640	416	1180	307
2014	824	181	1934	20	212	965	151	1104	369
2015	574	149	1900	46	46	143	69	828	267
2016	484	87	1202	17	48	267	93	605	168
2017	308	57	995	12	37	130	27	405	102
2018	252	34	804	14	23	161	58	420	117
									31 जुलाई तक
2018	149	17	485	11	15	144	58	303	61
2019	136	06	556	04	16	45	14	186	78

2. **पूर्वोत्तर में एनडीएफबी/एस सहित उग्रवादी संगठनों के विरुद्ध विद्रोह-रोधी ऑपरेशन** : एनडीएफबी/एस समूह के विरुद्ध विद्रोह-रोधी सतत ऑपरेशन चल रहे हैं। दिनांक 23.12.2014 से 30.06.2019 तक की अवधि के दौरान, एनडीएफबी/एस के 1152 काडरों/सम्पर्क व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे बड़ी मात्रा में हथियार और गोलाबारूद बरामद किए गए हैं तथा ऑपरेशन में 63 काडरों को मार गिराया गया है। वर्ष 2018 में इस क्षेत्र में समग्र रूप से विद्रोह-रोधी ऑपरेशन के परिणामस्वरूप 34 उग्रवादियों को मार गिराया गया, 804 उग्रवादियों की गिरफ्तारी हुई तथा 420 हथियार बरामद किए गए।
3. **सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम** : पूर्वोत्तर में सशस्त्र विद्रोह से निपटने के लिए संपूर्ण असम, नागालैंड और मणिपुर राज्य (इम्फाल नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर) को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम,1958 के अधीन हैं। बेहतर सुरक्षा स्थिति के कारण सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम को संपूर्ण मेघालय राज्य से दिनांक 31.3.2008 से हटा दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम के अधीन के क्षेत्र को पूर्व में असम के सीमावर्ती 16 पुलिस थानों/चौकियों से घटाकर 4 पुलिस थानों और 3 जिलों यथा तिरप, चांगलांग और लांगडिंग तक कर दिया गया है। मणिपुर और असम को "अशांत क्षेत्र" घोषित करने वाली अधिसूचनाएं राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई हैं।

4. **पूर्वोत्तर राज्यों के विद्रोही समूहों पर प्रतिबंध** : पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय 17 विद्रोही समूहों को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण 1967 के अंतर्गत "विधिविरुद्ध संगठन" और/या "आतंकवादी संगठन" घोषित किया गया है। वर्ष 2018 के दौरान, एनएलएफटी, एटीटीएफ और मैतेयी उग्रवादी समूहों पर प्रतिबंध को दिनांक 2.10.2023 तक पांच वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।
5. **आंध्र प्रदेश में संवर्धित पुलिस अवसंरचना के लिए सीसीएस का अनुमोदन :** सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने पुलिस संस्थापनाओं के सुदृढ़ीकरण 11 नए पुलिस थानों के सृजन के लिए अवसंरचना विकास तथा अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लांगडिंग जिलों में मौजूदा 9 पुलिस थानों के स्तरोन्नयन हेतु समग्र लागत को 138.95 से बढ़ाकर 212.85 करोड़ रुपए करने संबंधी गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।
6. **इंडिया रिजर्व बटालियनों की स्वीकृति :** पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुरक्षा बेहतर करने के लिए सरकार ने मार्च, 2018 में 10 और इंडिया रिजर्व बटालियनों की स्वीकृति प्रदान की है जिनमें से असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के लिए 2-2 बटालियनें होंगी। गृह मंत्रालय इन बटालियनों के गठन के मानक लागत के 75 प्रतिशत और अवसंरचना विकास की आधी लागत की प्रतिपूर्ति करेगा।
7. **ब्रू प्रवासियों का त्रिपुरा से मिजोरम में प्रत्यार्वन के बारे में करार :** त्रिपुरा में अस्थायी परिसरों में रह रहे 5,407 परिवारों के 32,876 व्यक्तियों के प्रत्यावर्तन हेतु दिनांक 3.7.2018 को भारत सरकार, मिजोरम सरकार, त्रिपुरा सरकार और मिजोरम ब्रू डिस्प्लेस्ड पीपुल्स फोरम (एमबीडीपीएफ) के बीच करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस करार के अनुसार, भारत सरकार मिजोरम में ब्रू व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और सुरक्षा, शिक्षा आदि के उनके मुद्दों का निराकरण करेगी। इस करार के कार्यान्वयन का समन्वय करने हेतु विशेष सचिव (आई एस), गृह मंत्रालय के अंतर्गत मॉनीटरिंग समिति गठित की गई है। ब्रू परिवारों के लिए सहायता को दिनांक 31 सितम्बर, 2019 तक बढ़ा दिया गया है।
8. **मणिपर में हेलिकॉप्टर सेवाओं की शुरुआत :** गृह मंत्रालय ने 75 प्रतिशत सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत मणिपुर राज्य में हेलिकॉप्टर सेवाएं शुरू किए जाने को अनुमोदन प्रदान कर दिया है जिसमें 744 उड़ान घंटों की वार्षिक सीमा होगी। इसके अतिरिक्त, नागालैंड और मिजोरम के लिए 1-1 अतिरिक्त डबल इंजिन हेलिकॉप्टर भी स्वीकृत किए गए हैं जिसमें दोनों राज्यों के लिए प्रति वर्ष 2 हेलिकॉप्टरों में से प्रत्येक के लिए 1200 उड़ान घंटों की समग्र सीमा होगी।
9. **पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एसआरई स्कीम की व्यापक समीक्षा :** पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) स्कीम की व्यापक समीक्षा दिनांक 1.4.2018 से की गई और निम्नलिखित परिवर्तन किए गए :

   - होमगार्डों के लिए पारिश्रमिक को 150/- रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 200/- रुपए किया गया।

- ग्राम रक्षा गार्ड (वीडीपी) के लिए मानदेय को 1500 रुपए प्रतिमाह से दो गुणा बढ़ाकर 3000 रुपए प्रतिमाह किया गया।
- प्रत्येक ऑपरेशन निलंबन काडर के लिए निर्धारित सिविल के रखरखाव व्यय को 3000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 6000 प्रतिमाह किया गया।
- उग्रवादी हिंसा में मारे गए/घायल हुए व्यक्ति के लिए अनुग्रह राशि बढ़ायी गई -
    - सिविलियन मृत्यु - 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए की गई।
    - पुलिस कार्मिकों की मृत्यु - 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई।
    - पुलिस के लिए स्थायी दिव्यांगता - 73000 रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई।
- ऑपरेशन निलंबन काडरों के लिए व्यावसायिक प्रतिशण के लिए प्रावधान।

10. **पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीति में संशोधन** : पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीति को और अधिक लुभावना बनाने के लिए इसे दिनांक 01.04.2018 से व्यापक रूप से संशोधित किया गया ताकि और अधिक युवकों को उग्रवाद से मुख्यधारा में आकर्षित किया जा सके। इसका ब्यौरा निम्नलिखित है :

- संशोधित मानदंडों के अंतर्गत आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को पूर्व में दिए जाने वाले 1.5 लाख रुपए की तुलना में 4 लाख रुपए का तत्काल अनुदान दिया जाएगा जिसे 3 वर्षों के लिए सावधि जमा में जमा किया जाएगा।
- मासिक वजीफ़ा को तीन वर्षों के लिए 3500 रुपए से बढ़ा 6000 रुपए किया गया है।
- हथियारों/गोलाबारूद के लिए प्रोत्साहन को बढ़ाकर 1000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक किया गया है।
- स्व-रोजगार हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु प्रावधान।
- पुनर्वास शिविरों के निर्माण हेतु निधियां।
- आत्मसमर्पण करने वाले व्यक्तियों का अनिवार्य आधार बायोमेट्रिक पंजीकरण।